न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 99/2019

अन्तर्गत धारा 88, 90, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

रामेश्वर लाल पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा निवासी सी–179 करनीनगर, नजदीक लालगढ़ पैलेस, बीकानेर, स्थानीय पता 3 जे 4 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

–– वादी

<u>बनाम</u>

1. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा फर्म नंदराम लेखराम 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

1/1. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा फर्म नंदराम लेखराम 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

1/2. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा फर्म नंदराम लेखराम 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

1/3. कृपाराम पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा फर्म नंदराम लेखराम 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

2. चन्द्रमुखी पत्नी स्व. श्री भूपसिंह पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा गोदारा ब्रादर्स, 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

3. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री भूपसिंह पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा गोदारा ब्रादर्स, 7 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर

4. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री भूपसिंह पुत्र श्री नंदराम जाति जाट गोदारा द्वारा गोदारा क्लॉथ हाउस, मकान नं. 39 पब्लिक पार्क–ए, स्वामी दयानंद मार्ग, श्रीगंगानगर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

6. विद्या देवी पुत्री स्व. श्री नंदराम पत्नी श्री गोपालराम सिहाग निवासी वीपीओ पन्नीयावाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7. कलावती पुत्री स्व. श्री नंदराम पत्नी श्री ... निवासी वीपीओ भाम्भूआंवाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा (वादी)
अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोडा (प्रतिवादीगण)
पैरोकार राज (प्रति.–5)

06/09/2022
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यानुसार वादी के पिता श्री नंदराम द्वारा तथा वादी व वादी के भाईयों का संयुक्त हिन्दू परिवार था तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से कृषि भूमि चक 20 एलएनपी, 22 एलएनपी, 24 एलएनपी तथा 25 एलएनपी में वादी एवं उसके भाईयों के नाम से खरीद की गयी इन कृषि भूमि का बटवारा पारस्परिक सहमति से दिनांक 25.7.2011 को लिखित में किया गया और इस बटवारानामा के अनुसार वादी को निम्न कृषि भूमि हिस्सा में दी गयी:

(1) चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 से 25

(2) चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1 में 0.0120, 2 में 0.0130, 3 में 0.0120, 4 में 0.0130 व 5 में 0.0120 से 5 कुल 0.0620 हैक्टेयर

(3) चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3 में 0.0120, 4 में 0.0120, 5 में 0.0130 हैक्टेयर कुल 0.0370 हैक्टेयर

(4) चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 4 से 7, 14 से 17 व 24, 25

(5) चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 20 में 0.0130 हैक्टेयर एवं 21

(6) चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 व 2 तथा किला नं. 3 का 0.202 हैक्टेयर

इस प्रकार वादी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 22 एलएनपी के 25 बीघा तथा कृषि भूमि 20 एलएनपी के कुल 14 बीघा भूमि विभाजन में प्राप्त हुई जिस पर वादी बटवारानामा की दिनांक से ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित वादी के कब्जाकाश्त की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जो वादी के पूर्व में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे, के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 से 8 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है जो कि वादी के मृतक भाई भूपसिंह का पुत्र है तथा मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1 से 5 की कुल 0.0620 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नं. 58 की किला नं. 3 से 5 कुल 0.0370 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 9 से 17 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 4 मृतक भूपसिंह के नाम तथा किला नं. 25 एवं मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 20 के 0.038 हैक्टेयर, 21 एवं मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 व 2 तथा 3 के 0.202 हैक्टेयर वादी के मृतक पिता श्री नंदराम के नाम व मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 18 से 25 वादी के नाम से है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद चक 25 एल के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 2/1 के 0.2150 हैक्टेयर भूमि काश्त कर रहा है परन्तु यह भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में यह भूमि बटवारानामा के द्वारा आयी हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है। चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 से 4 में वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 0.913 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज है जो बटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हिस्सा में आया है तथा इसी प्रकार वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 4 से 9 व 10 का 0.1260 हैक्टेयर, किला नं. 11 से 13, किला नं. 14 का 0.1640 हैक्टेयर तथा किला नं. 18 से 20 एवं 21 व 22 प्रत्येक का 0.2280 हैक्टेयर तथा किला नं. 23 का 0.2270 हैक्टेयर कुल 3.503 हैक्टेयर वादी के नाम से दर्ज है परन्तु बटवारानामा में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हिस्सा में आयी हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकार से वादी जिस भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसमें चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

06/09/2022
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 18 से 25 को छोड़कर शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम से है जिसका सम्पूर्ण विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित है। वादी बटवारानामा दिनांक 25.7.2011 के अनुसार उसके हिस्सा में आयी भूमि का हिस्सेदार तथा रिकॉर्डेड खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का इन्द्राज स्वयं के नाम से खातेदार के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज है तथा बटवारानामा दिनांक 25.7.2011 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्सा में आयी है तथा उनके कब्जा काश्त में है, की भी घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में, जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में दर्ज है, का इन्द्राज वादी के नाम से हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम से उनके हिस्सा में बटवारानामा के अनुसार आयी भमि का इन्द्राज दर्ज किये जाने योग्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के ससुर व दादा श्री नंदराम की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके नाम से दर्ज भूमि का बटवारा उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा पारस्परिक सहमति से किया जा चुका है तथा श्री नंदराम की पुत्रियों द्वारा अपना हिस्सा श्री नंदराम के पुत्रों एवं उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया गया है इसलिए मृतक नंदराम के नाम से दर्ज भूमि बटवारानामा में अकेले वादी को बटवारा में दी गयी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पारस्परिक सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में बटवारानामा के अनुसार वादी के हिस्सा में आयी भूमि का इन्द्राज दर्ज करवाने तथा जो बटवारानामा के अनुसार उनके हिस्सा में आयी है तथा वादी के नाम से दर्ज है, का इन्द्राज स्वयं के नाम से दर्ज करवाने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस हेतु दिनांक 15.7. 2019 को स्पष्ट इन्कार कर दिया गया है इसलिए वादी को वर्तमान वाद प्रस्तुत करने का प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक प्राप्त है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

क. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य दिनांक 25. 7.2011 को निष्पादित बटवारानामा के अन्तर्गत वादी के हिस्सा में आयी भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है, का वादी को रिकॉर्डेड खातेदार घोषित किया जावे।

ख. यह कि वादी के हिस्सा में आयी कृषि भूमि स्थित चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 से 25 जिसमें से किला नं. 18 से 25 पूर्व में ही वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1 में 0.0120, 2 में 0.0130, 3 में 0.0120, 4 में 0.0130 व 5 में 0.0120 से 5 कुल 0.0620 हैक्टेयर, चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3 में 0.0120, 4 में 0.0120, 5 में 0.0130 हैक्टेयर कुल 0.0370 हैक्टेयर, चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 4 से 7, 14 से 17 व 24, 25, चक 20 एलएनपी के मुरब्बा न. 5 के किला नं. 20 में 0.0130 हैक्टेयर एवं 21 एवं चक 20 एलएनपी के मुर[illegible] किला नं. 1 व 2 तथा किला नं. 3 का 0.202 हैक्टेयर का [illegible] जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के स्थान पर [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

ग. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद की चक 25 [illegible]एनपी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 2/1 के 0.2150 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के स्थान पर बद्रीप्रसाद का नाम दर्ज किया जावे।

घ. यह कि चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 से 4 में 0.913 हैक्टेयर हिस्सा, चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 4 से 9 व 10 का 0.1260 हैक्टेयर, किला नं. 11 से 13, किला नं. 14 का 0.1640 हैक्टेयर तथा किला नं. 18 से

20 तथा 21 व 22 प्रत्येक का 0.2280 हैक्टेयर तथा किला नं. 23 का 0.2270 हैक्टेयर कुल 3.503 हैक्टेयर वादी के नाम से दर्ज है परन्तु बटवारानामा में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हिस्सा में आयी हुई है इसलिए वादी के नाम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

ड़. यह कि वाद व्यय दिलवाया जावे।

च. यह कि अन्य कोई अनुतोष जो वाद की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय दिलवाया जाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से दिनांक 07.04.2021 को जवाबदावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार नन्दराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही कृषि भूमि का विभाजन कर अपने पुत्रों रामेश्वरलाल, भूपसिंह व बद्री प्रसाद को बांट दी थी और 5 बीघा कृषि भूमि वाके चक 20 एल.एन.पी. के खाता मुरब्बा नं. 4, 5, 6 की भूमि में से 5 बीघा कृषि भूमि अपने नाम से रख ली थी जो आज भी नन्दराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता कछ 4 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है बाकी कृषि भूमि जो खरीद की गई वह प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता–पति द्वारा अपनी स्वय की आय से खरीद की गई है जो संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है। बद्री प्रसाद जो कि वादी के साथ ही निवास करता था इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से भूमि क्रय की गई। इस कारण रामेश्वर लाल द्वारा खरीदशुदा भूमि रामेश्वरलाल व बद्री प्रसाद की संयुक्त सम्पत्ति है। इस मद में वादी द्वारा अपने हिस्सा की जो भूमि अंकित की गई है वह कतई गलत व निराधार है, क्योंकि इस मद में अंकित भूमि चक नं. 22 एल.एन.पी. के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 ता 25 जो अंकित की गई है वह वादी के कब्जा व स्वामित्व की न होकर मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 ता 8 प्रतिवादी संख्या 3 प्रदीप कुमार व किला नं. 9 ता 17 प्रतिवादिया संख्या 2 चन्द्रमुखी के नाम व कब्जा में है और किला नं. 18 ता 25 रामेश्वरलाल वादी के नाम से है और उसके कब्जा काश्त में ही है और किलावाईज विभाजित है यदि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होती तो आवश्यक रूप से संयुक्त खाता की होती और खाते खुलने से पूर्व वादी आवश्यक रूप से ही आपत्ति करता। उक्त वर्णित भूमि खरीदशुदा भूमि है और खरीद की दिनांक से ही खातेदार अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है व अपने हिस्से की कृषि भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार के.सी.सी. लोन भी बैंक से लिया हुआ है। वादी ने भी अपने हिस्सा व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि पर लोन लिया हुआ है और यदि विभाजन में वादी को उक्त मुरब्बा की भूमि मिली होती तो आवश्यक रूप से के.सी.सी लोन में भी आपत्ति करता। इस कारण इन तथ्यों से यह बखुबी साबित है कि, वादी के पास चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 में वर्णित कृषि भूमि व मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3, 4, 5 में कृषि भूमि क्रमशः .0620 हैक्टेयर व 370 हैक्टेयर कुल .990 हैक्टेयर [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी प्रदीप कुमार के नाम से है। चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 [illegible] किला नं. 4 से 7. 14 से 17 व 24, 25 की 10 बीघा कृषि भूमि न होकर किला नं. 4 प्रतिवादी [illegible] संख्या 2 ता 4 की मलकियति व कब्जा काश्त में है, व चक नं. 20 एलएनपी के मुरब्बानं. 5 के किला नं. 20 व 21 की कृषि भूमि पर भी वादी का कब्जा अकेले का ना होकर नन्दराम के नाम से होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता की है। चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1, 2, 3 में वर्णित भूमि वादी के नाम से होने से कोई एतराज नहीं है। यहाँ यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि, प्रतिवादी संख्या 3 प्रदीप कुमार की कृषि भूमि वाके चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 57 व 58 की कृषि भूमि वादी के साथ लगने के कारण उक्त भूमि पर वादी ने काश्त कर रखी है व उसके बदले वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि वाके चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 ता 4 की 0.913 हैक्टेयर की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 प्रदीप कुमार का कब्जा है जिस पर प्रदीप कुमार की काश्त है, परन्तु उपरोक्त दोनों आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार के.सी.सी लोन प्रतिवादी प्रदीप कुमार ने उठाया हुआ है, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई पारिवारिक विभाजन दिनांक 25.07.2011 को निष्पादित नहीं हुआ और ना ही शाहदत इनखलाये है। मद संख्या 2 वाद पत्र में अंकित तथ्य जिस तरह से वर्णित किये गये है व स्वीकार नही है। जैसा कि पूर्व में ही अंकित किया जा चुका है कि मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 ता 8 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज होने से इन्कारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 भूप सिंह का पुत्र होने से भी कोई इन्कारी नहीं है। मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 9 ता 17 चन्द्रमुखी के नाम से होने से भी कोई इन्कारी नहीं है। बाकी तथ्य जो राजस्व रिकॉर्ड के अंकित किये गये है उनसे कोई इन्कारी नहीं है। मद संख्या 3 वाद पत्र के अंकित तथ्यों में यह तथ्य स्वीकार है कि, चक से एलएनपी के मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 2/1 के 0.215 हैक्टेयर पर काश्त बद्री प्रसाद की है और उक्त भूमि वादी के नाम से है। मद संख्या 4 वाद पत्र में अंकित यह तथ्य स्वीकार है कि, चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 ता 4 मे वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 0913 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज है, बाकी तथ्य जो इस मद में अंकित किये गये है वह बवजह गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 उसी भूमि पर काबिज है जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यहाँ यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि चक संख्या 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 ता 4 जो वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में 0.913 हैक्टेयर दर्ज है उस भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का कब्जा है, क्याकि इस भूमि के बदले वादी की भूमि जो चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 0.0620 हैक्टेयर है व इसी चक में मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3 ता 2 की 0.370 हैक्टेयर कुल 0.990 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से था जो रकबा वादी की कृषि भूमि के पास पड़ने के कारण आपसी सहमति से उक्त रकबा की काश्त वादी, वादी की कृषि भूमि की काश्त प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा की जा रही है। मद संख्या 5 वाद पत्र में अंकित तथ्य बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं, जिसका विस्तार पूर्वक जवाब पूर्व की मदों में दिया जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बार–बार निवेदन कर रहे है कि, प्रतिवादी उसी भूमि पर काबिज है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। मद संख्या 6 वाद पत्र बवजह गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई बंटवारानामा दिनांक 25.07.2011 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित नहीं हुआ और ना ही तथाकथित बंटवारानामा दिनांक 25.07.2011 पर्ण स्टाम्प पर है, तथा ना ही पंजीकृत है, इस कारण से बंटवारानामा जो पूर्ण कोई स्टाम्प पर स्टाम्पित एवं पंजीकृत नहीं है वो ऐसा बंटवारानामा की कोई विधिक अहमियत नहीं है और ऐसे बंटवारेनामे के आधार पर वादी रिकॉर्डिड खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। मद संख्या 7 वाद पत्र में अंकित तथ्य बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं जैसा कि, पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि कोई बंटवारानामा दिनांक 25.07.2011 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित नहीं हुआ है, मात्र चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 ता 4 में वादी के नाम से दर्ज है भूमि 0.913 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का कब्जा है तथा उसके बदले मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से वर्णित भूमि चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 57 व 58 की 0.970 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा वादी का है ना कि सम्पूर्ण भूमि जैसे कि रिकॉर्ड में अंकित है, उसी अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। मद संख्या 8 वाद पत्र में यह स्वीकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर तथा 3 व 4 के दादा नन्दराम की मृत्यु हो चुकी है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि को अकेले अपने नाम से वादी करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त भूमि नन्दराम के प्रत्येक वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर–बराबर है। मद संख्या 9 की बजाए 8 का अंकन किया गया है, इसमे अंकित तथ्य बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं। जैसा कि पूर्व की मदों के जवाब में विस्तारपूर्वक अंकित किया गया है कि कोई बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ और ना ही वादी के हिस्सा में कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित के विवादित आई बल्कि वादी व प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा में आई भूमि का अंकन पूर्व में बंटवारानुसार किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया हुआ है ओर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही सभी अपने–अपने हिस्सा पर काबिज है। वादी, प्रतिवादीगण से दिनांक 15.07.2019 को नहीं मिला ओर ना ही वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद हेतुक ही प्राप्त हैं। मद संख्या 9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही। मद संख्या 10 वाद पत्र में अकित तथ्यों में यह तथ्य स्वीकार है कि भूमि तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है व वाद श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। बाकी तथ्य जो इस मद में अंकित किए गये है व बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। मद संख्या 11 वादी द्वारा चाहा गया कोई भी अनुतोष व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। काउन्टर क्लेम– वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खेती व कारोबार था इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 परस्पर एक दूसरे की भूमि पर संयुक्त खेती होने के कारण काबिज थे और उनके मध्य आपसी विभाजन हुआ था, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र विनोद कुमार के नाम राजस्व अभिलेख में वाके चक 22 एलएनपी के खाता संख्या 87/84 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 18 ता 25 कुल 2.0240 हैक्टेयर कृषि भूमि थी जो विनोद कुमार द्वारा बिना प्रतिफल प्राप्त किए रामेश्वरलाल वादी के नाम अंकित करवा दी और उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है, इसके बदले वादी द्वारा अपनी कृषि भूमि वाके चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 137/65 मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24 की कुल 2.0240 हैक्टेयर रकबा रामेश्वरलाल द्वारा बद्री प्रसाद के नाम से चढवाई जानी थी, जो अभी तक नहीं चढ़वाई है कब्जा उक्त भूमि पर प्रतिवादी बद्री प्रसाद का है। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कई बार कहा कि वह उक्त भमि उसके नाम से ट्रांसफर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा देवे जिस पर उस द्वारा आज–कल, आज–कल कहकर टाल–मटोल किया जा रहा है और यह भमि उसके नाम से न चढ़वानी पड़े इस कारण ही उक्त वाद वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि वाले चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 137/65 मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 5, 6. 7, 14, 15, 16, 24 की कुल 2.0240 हैक्टेयर का उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। यहाँ यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि जैसा कि पूर्व की मदों में अंकित तथ्यों के आधार पर काश्त की सुविधा के अनुसार वादी की कृषि भूमि वाके चक 24 एल.एन.पी. के मुरब्बा नं.6 के किला नं.1 ता 4 की 0.913 है0 थी, जिस पर प्रतिवादी सं.2 ता 4 का कब्जा है और इसके बदले प्रतिवादी सं.2 ता 4 की कृषि भूमि वाके चक 22 एल.एन.पी. के मुरब्बा नं.. 57 के किला नं. 1 ता 5 की .06[illegible] चक के मुरब्बा नं.58 के किला नं.3,4,5 की कुल 370है0 है, इस [illegible] है जिसे स्वय वादी स्वीकार करता है। उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषित की जा[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को कोई आपत्ति नही है। काउन्टर क्लेम मद सं.1 व 2 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे कब्जानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु व एक दूसरे के नाम राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु बद्री प्रसाद की मृत्यु के पश्चात कहा तो वादी ने दिनांक 15.02.2021 को इन्कार कर दिया, जिससे प्रतिवादी सं.2 ता 4 को उक्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्राप्त हुआ। वाद हेतुक से उक्त काउन्टर क्लेम बिना किसी देरी के अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है व पूरे न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्य आपत्तियां – वादी द्वारा जो तथाकथित बंटवारानामा दिनांक 25.07.2011 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई बंटवारानामा वादी व प्रतिवादी के मध्य निष्पादित नही हुआ और ना ही उक्त बंटवारानामा पूर्ण मुद्रांकित व पंजीकृत है, जब कि ऐसा बंटवारानामा पूर्ण मुद्रांकित व पंजीकृत होना आवश्यक है। इस कारण यह बंटवारानामा साक्ष्य मे ग्राह्य नही है और ना ही ऐसे बंटवारेनामा के आधार पर वादी को कोई अधिकार की प्राप्त होते हैं। इस कारण इसी आधार पर ही वाद वादी निरस्त होने योग्य है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करके निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवम काउन्टर क्लेम की मद सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि का वाद प्रतिवादीगण को रिकार्डिड खातेदारी घोषित जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद फरमाया जावे।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त पक्षकार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा सभी को स्व. श्री नंदराम के खातेदारी की भूमि विरासतन प्राप्त हुई है और सभी पक्षकारों के मध्य पारस्परिक सहमति से लोक अदालत की प्रेरणा से निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया हैः–

1. यह कि प्रथम पक्ष रामेश्वर लाल को निम्न भूमि दी गयी हैः–

क. चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 56 के किला न. 1 से 8 जो तृतीय पक्ष प्रदीप के नाम से है, किला नं. 9 से 17 जो तृतीय पक्ष चन्द्रमुख के नाम से है एवं किला नं. 18 से 25 जो रामेश्वर लाल के नाम से है एवम् किला नम्बर 9 से 17 जो तृतीय पक्ष चन्द्रमुखी के नाम से है एवम् किला नम्बर 18 से 25 जो रामेश्वर लाल के नाम से इस प्रकार मुरब्बा नं. 56 का पूरा किला नं. 1 से 25 रामेश्वर लाल को हिस्सा में दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1/1 से 5/1 कुल 0.010 हैक्टेयर, मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3 से 5 = 0.0370 हैक्टेयर भी रामेश्वर लाल को दिया गया है, यह भूमि भी तृतीय पक्ष प्रदीप के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ख. चक 20 एलएनपी का मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 25 (0.253 हैक्टेयर), मुरब्बा नं. 5 का किला नं. 20 (0.038 हैक्टेयर) व 21 (0.253 हैक्टेयर), मुरब्बा नं. 6 का किला नं. 1 (0.253 हैक्टेयर), किला नं. 2 (0.253 हैक्टेयर), किला नं. 3 (0.202 हैक्टेयर) कुल 1.252 हैक्टेयर जो स्व. श्री नंदराम पुत्र श्री तिलोकाराम के नाम से दर्ज है, को अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 4 (0.253 हैक्टेयर) जो भूप सिंह के नाम से है, को भी अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 5 से 7, 14 से 17 व 24 कुल 8 बीघा जो रामेश्वरलाल के नाम से है, अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है।

ग. चक 24 एलएनपी के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 4 से 9 व 10 का 0.1260 हैक्टेयर, किला नं. 11 से 13, किला नं. 14 का 0.1640 हैक्टेयर तथा किला नं. 18 से 20 तथा 21 व 22 प्रत्येक का 0.2280 हैक्टेयर तथा किला नं. 23 का 0.2270 हैक्टेयर कुल 3.503 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज है, को प्रदीप कुमार तृतीय पक्ष को दिया गया है तथा खाता संख्या 20 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 5/1 ([illegible] हैक्टेयर), 5/2 (0.012 हैक्टेयर), 6 (0.152 हैक्टेयर), 14/1 (0.088 हैक्टेयर), 15 (0.152 हैक्टेयर), 16 (0.152 हैक्टेयर), 17 (0.253 हैक्टेयर), 24 (0.228 हैक्टेयर), 25 (0.1[illegible] हैक्टेयर) कुल [illegible] हैक्टेयर तृतीय पक्ष प्रदीप कुमार को दी गयी है जो स्व. श्री भूप सिंह के सभी वारिसों के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

घ. चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 से 4 में 0.913 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज है, उँसे भूप सिंह के विधिक उत्तराधिकारी राकेश कुमार तृतीय पक्ष को दी गयी है।

ड़. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 30 के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2/1 से किला नम्बन 9 तथा किला नं. 13 से 18 एवं 22 से 24 जो श्रीमती चावली देवी पत्नी श्री नंदराम एवं स्व. श्री बद्री प्रसाद

पुत्र श्री नन्दराम के नाम से दर्ज है, में मुरबा नं. 42 के किला नं. 5 से 7, 14 ता 17, 23 का आधा किला नं.24 के साथ चिप्ता हुआ तथा किला नं. 24 कृपाराम द्वितीय पक्ष को दिया गया तथा किला नम्बर 2 से 4, 8 व 9, 13, 18, 22 व किला नं. 23 का आधा किला नं. 22 से चिपता हुआ, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दिया गया है।

च. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 20 के मुरब्बा न. 42 किला नं. 1/1 व 1/2, 10 से 12, 19 से 21 कुल 1.745 हैक्टेयर जो ततीय पक्ष स्व. भपसिंह के उत्तराधिकारियो के नाम से है, द्वितीय पक्ष विनोद कुमार को दिया गया।

छ. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 20 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 5/1, 5/2, 6, 15, 16 व 25 कल 0.493 हैक्टेयर जो स्व. भूपसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम से है, उसे विनोद कुमार को दिया गया है।

ज. चक 25 एलएनपी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 2/1 में 0.215 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से है, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दिया गया है।

झ. चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1, 2, 9 से 12, 20, 21 कल 2.0240 हैक्टेयर जो द्वितीय पक्ष बद्री प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से है, कृपाराम द्वितीय पक्ष को दी गयी है।

ञ. चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 3, 8, 13, 18. 19, 22, 23 कुल 1.771 हैक्टेयर जो स्व. श्री भूप सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से है, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दी गयी है।

ट. अहाता स्थित गांव लाधूवाला पैमायशी 92.5 गणा 205 फीट जिसका पट्टा दिनांक 6.8.2007 को पंचायत द्वारा नंदराम के नाम से जारी किया गया है, को तृतीय पक्ष चन्द्रमुखी को दिया गया है।

जिस किसी पक्षकार द्वारा भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है तो उसे अदा करने का उत्तरदायित्व उसी पक्षकार का होगा तथा सभी पक्षकारों की सहमति से ऋण के पेटे जो भूमि बंधक की गयी है उसे बदलकर अपने हिस्से में आयी भूमि को बंधक करने का अधिकार होगा। सभी पक्षकार राजीनामा के अनुसार अपने–अपने हिस्सों पर काबिज हो गये है तथा राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने के अधिकारी होगें तथा अपने–अपने हिस्सा अनुसार माली व नहरी विभाग में भी नामांतरण करवाकर शुल्क अदा करने के उत्तरदायी होगें।

चतुर्थ पक्षकारगण द्वारा तथा प्रथम से तृतीय पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा जो स्व. श्री नंदराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, प्रथम पक्ष अमित कुमार के पक्ष में परित्याग कर दिया है और वह स्व. श्री मंदराम के हिस्से का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी होगा।

वाद व्यय सभी पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। अतः [illegible] अदालत की प्रेरणा से सभी पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से राजीनामा निष्पादित करवाया [illegible] राजीनामा अनुसार डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नहरी विभाग [illegible] आदेश पारित किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 ग्राम 22 एलएनपी, पटवार हल्का 19 एमएल, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 84/76, जमाबंदी सम्वत्

2069–2072 ग्राम 22 एलएनपी, पटवार हल्का 19 एमएल, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 45/37, जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 ग्राम 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 35/35, 36/36, 42/9, 43/43, 56/57, 65/65, जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 ग्राम 25 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 35/32, 36/38, जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 ग्राम 24 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 40/33, 17/13, 31/25, 24/24 पेश की। प्रस्तुत जमाबंदियों के अवलोकन से वादीगण एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है एवं विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए0आई0आर0 1976 एस सी –807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवारिक समझौते को अधिक महत्वता दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा–धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझोता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझोता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र–पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती हैं जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आरआरडी 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है।

–:: आदेश ::–

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वाद वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर वाद निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

रामेश्वर लाल को दी गयी भूमि :–

क. चक 22 एलएनपी के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 से 8 जो तृतीय पक्ष प्रदीप के नाम से है, किला नं. 9 से 17 जो तृतीय पक्ष चन्द्रमुखी के नाम से है एवं किला नं. 18 से 25 जो रामेश्वर लाल के नाम से है एवम् किला नम्बर 9 से 17 जो तृतीय पक्ष चन्द्रमुखी के नाम से है एवम् किला नम्बर 18 से 25 जो रामेश्वर लाल के नाम से इस प्रकार मुरब्बा नं. 56 का पूरा किला नं. 1 से 25 रामेश्वर लाल को हिस्सा में दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 1/1 से 5/1 कुल 0.010 हैक्टेयर, मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 3 से 5 = 0.0370 हैक्टेयर भी रामेश्वर लाल को दिया गया है, यह भूमि भी तृतीय पक्ष प्रदीप के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ख. चक 20 एलएनपी का मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 25 (0.253 हैक्टेयर), मुरब्बा नं. 5 का किला नं. 20 (0.038 हैक्टेयर) व 21 (0.253 हैक्टेयर), मुरब्बा नं. 6 का किला नं. 1 (0.253 हैक्टेयर), किला नं. 2 (0.253 हैक्टेयर), किला नं. 3 (0.202 हैक्टेयर) कुल 1.252 हैक्टेयर जो स्व. श्री नंदराम पुत्र श्री तिलोकाराम के नाम से दर्ज है, को अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 4 (0.253 हैक्टेयर) जो भूप सिंह के नाम से है, को भी अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है तथा मुरब्बा नं. 4 का किला नं. 5 से 7, 14 से 17 व 24 कुल 8 बीघा जो रामेश्वरलाल के नाम से है, अमित कुमार प्रथम पक्ष को दिया गया है।

ग. चक 24 एलएनपी के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 4 से 9 व 10 का 0.1260 हैक्टेयर, किला नं. 11 से 13, किला नं. 14 का 0.1640 हैक्टेयर तथा किला नं. 18 से 20 तथा 21 व 22 प्रत्येक का 0.2280 हैक्टेयर तथा किला नं. 23 का 0.2270 हैक्टेयर कुल 3.503 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज है, को प्रदीप कुमार तृतीय पक्ष को दिया गया है तथा खाता संख्या 20 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 5/1 (0.139 हैक्टेयर), 5/2 (0.012 हैक्टेयर), 6 (0.152 हैक्टेयर), 14/1 (0.088 हैक्टेयर), 15 (0.152 हैक्टेयर), 16 (0.152 हैक्टेयर), 17 (0.253 हैक्टेयर), 24 (0.228 हैक्टेयर), 25 (0.135 हैक्टेयर) कुल 1.315 हैक्टेयर तृतीय पक्ष प्रदीप कुमार को दी गयी है जो स्व. श्री भूप सिंह के सभी वारिसों के नाम दर्ज है।

घ. चक 24 एलएनपी के मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 से 4 में 0.913 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज है, उसे भूप सिंह के विधिक उत्तराधिकारी राकेश कुमार तृतीय पक्ष को दी गयी है।

ड़. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 30 के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 2/1 से किला नम्बन 9 तथा किला नं. 13 से 18 एवं 22 से 24 जो श्रीमती चावली देवी पत्नी श्री नंदराम एवं स्व. श्री बद्री प्रसाद पुत्र श्री नन्दराम के नाम से दर्ज है, में मुरबा नं. 42 के किला नं. 5 से 7, 14 ता 17, 23 का आधा किला नं.24 के साथ चिप्ता हुआ तथा किला नं. 24 कृपाराम द्वितीय पक्ष को दिया गया तथा किला नम्बर 2 से 4, 8 व 9, 13, 18, 22 व किला नं. 23 का आधा किला नं. 22 से चिपता हुआ, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दिया गया है।

च. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 20 के मुरब्बा न. 42 किला नं. 1/1 व 1/2, 10 से 12, 19 से 21 कुल 1.745 हैक्टेयर जो ततीय पक्ष स्व. भपसिंह के उत्तराधिकारियो के नाम से है, द्वितीय पक्ष विनोद कुमार को दिया गया।

छ. चक 24 एलएनपी का खाता संख्या 20 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 5/1, 5/2, 6, 15, 16 व 25 कल 0.493 हैक्टेयर जो स्व. भूपसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम से है, उसे विनोद कुमार को दिया गया है।

ज. चक 25 एलएनपी के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 2/1 में 0.215 हैक्टेयर रामेश्वर लाल प्रथम पक्ष के नाम से है, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दिया गया है।

झ. चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला [illegible] 2.0240 हैक्टेयर जो द्वितीय पक्ष बद्री प्रसाद के विधिक उत्तराधिकारियों के [illegible] द्वितीय पक्ष को दी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:25:11 IST
Reason: SelfAttested

ञ. चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 4 के किला [illegible] 23 कुल 1.771 हैक्टेयर जो स्व. श्री भूप सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से है, विनोद कुमार द्वितीय पक्ष को दी गयी है।

ट. अहाता स्थित गांव लाधूवाला पैमायशी 92.5 गणा 205 फीट जिसका पट्टा दिनांक 6.8.2007 को पंचायत द्वारा नंदराम के नाम से जारी किया गया है, को तृतीय पक्ष चन्द्रमुखी को दिया गया है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.09.2022 को जारी किया गया।

06/09/2022

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested